

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

(NAAC मान्यता प्राप्त "A" ग्रेड विश्वविद्यालय)



दूरभाष : कार्यालय : 0761-4009762

ईमेल : rdvvcc1@rediffmail.com

क्रमांक/परीक्षा/2025/2269

जबलपुर, दिनांक: 21/5/25

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख
शिक्षण विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
जिला- जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर।

विषय: ABC/APAAR ID निर्मित/संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

प्रायः देखा जा रहा है कि वि.वि. शिक्षण विभागों/महाविद्यालयों में पूर्व में प्रवेशित एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा निर्मित ABC/APAAR ID, जो कि उनके आधार (AADHAAR) में दर्शित नाम से निर्मित होती है, के साथ उनके रिजल्ट/क्रेडिट डेटा N AD Portal पर अपलोड किये जाते हैं तो अधिकांश विद्यार्थियों के अंकसूची डेटा में दर्शित नाम एवं आधार (AADHAAR) के नाम में भिन्नता होने के कारण रिजल्ट/क्रेडिट डेटा REJECT हो जाता है तथा डेटा अपलोड नहीं होता है।

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है एवं विश्वविद्यालय द्वारा तत्संबंध में महाविद्यालयों को कार्यवाही हेतु अधिसूचित/पृष्ठांकित भी किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि-

1. आपके शिक्षण विभाग/महाविद्यालय में सत्र 2025-26 के नवीन प्रवेशित एवं पूर्व के अध्ययनरत विद्यार्थियों के उनके आधार (AADHAAR) के नाम एवं अंकसूची के नाम का परीक्षण करें। जिन विद्यार्थियों के आधार (AADHAAR) के नाम एवं अंकसूची के नाम में भिन्नता हो तो ऐसे विद्यार्थियों का प्रथमतः आधार (AADHAAR) के नाम में उनकी अंकसूची के नाम के अनुसार संशोधन कराया जावे, तत्पश्चात् नाम समान होने पर ही इन विद्यार्थियों की ABC/APAAR ID निर्मित कराई जावे एवं इसी आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन पत्र भी भरवाया जावे जिससे विद्यार्थियों का रिजल्ट/क्रेडिट डेटा सही ABC/APAAR ID के साथ NAD Portal पर अपलोड हो सके।
2. विद्यार्थियों की संशोधन पश्चात् प्राप्त ABC/APAAR ID को RDVV MPOnline पोर्टल के "Update Your ABC ID" पर भी अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त कार्य को प्राथमिकता दें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 21/5/25

पृ.क्र/परीक्षा/2025/2269 35

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्राचार्य/प्राचार्या, वि.वि. से सम्बद्ध समस्त अग्रणी महाविद्यालय।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. कुलगुरु जी के सचिव, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर